



यूनविर्सल पोस्टल यूनियन

परीलमिस के लयि:

यूनविर्सल पोस्टल यूनियन

मेन्स के लयि:

यूनविर्सल पोस्टल यूनियन कार्य पद्धति, भारत-पाकस्तान के द्वपिक्षीय संबंघों से संबंघति मुद्दे

चर्चा में क्यो?

हाल ही में पाकस्तान ने यूनविर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union- UPU) के नयिमों के वपिरीत जाकर भारत से आदान-परदान होनी वाली डाक सेवा (Postal Exchange) को (भारत को सूचति कएि बगैर) बंद कर दया।

परमुख बदि

- पाकस्तान के इस कदम से पहले तक दोनों देशों के बीच लगभग दैनिक रूप से डाक का आदान-परदान कया जा रहा था। दोनों देशों के बीच कोई नयिमति और सीधा हवाई संपर्क नहीं होने के कारण सऊदी अरब के हवाई मार्ग से डाक का आदान-परदान कया जा रहा था।
- भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय डाकों को 28 अधिकृत डाकघरों के माध्यम से परबंधति कया जाता है, इनमें से दल्लि और मुंबई के डाकघरों को पाकस्तान के साथ आदान-परदान होने वाली डाकों के लयि नामति कया गया है।
- UPU के अतरिकित तीन और समझौते- एक्सचेंज ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल (Exchange of Value Payable Article), 1948; एक्सचेंज ऑफ पोस्टल आर्टिकल (Exchange of Postal Article), 1974 तथा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एग्रीमेंट (International Speed Post Agreement), 1987 भारत एवं पाकस्तान के बीच डाकों के आदान-परदान को वनियिमति करते हैं।

यूनविर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में:

- यूनविर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union-UPU) अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान-परदान को वनियिमति करता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लयि दरों को तय करता है।
- इसका गठन वर्ष 1874 में कया गया था और इसका मुख्यालय स्वज़िटरलैंड के बर्न में स्थति है।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 192 है।
- इसकी चार इकाइयाँ नमिनलखति हैं-

- कॉन्ग्रेस।
- परशासन परषिद।
- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो।
- डाक संचालन परषिद।

- यह वशि्व भर के 6.40 लाख पोस्टल आउटलेट को नयित्तरति करता है। भारत 1 जुलाई, 1876 और पाकस्तान 10 नवंबर, 1947 को UPU में शामिल हुए थे।

यूनविर्सल पोस्टल यूनियन की क्रयावधि:

- UPU की एक इकाई अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो ने वर्ष 2018 में एक कन्वेंशन मैनुअल (Convention Manual) जारी किया, जिसके अनुच्छेद 17-143 में डाक सेवाओं के अस्थायी नलिंबन और बहाली के लिये उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के नियमों के तहत जब कोई देश किसी देश के साथ वनिमिय को नलिंबति करने का फैसला करता है तो उसे दूसरे देश (जैसे भारत) को इस बारे में सूचित करना चाहिये, साथ ही यदसंभव हो तो जसि अवधि के लिये सेवाएँ रोकी जा रही हैं उसका भी विवरण दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सभी सूचनाएँ अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के साथ भी साझी की जानी चाहिये।
- भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न तीन द्वपिक्षीय समझौतों के अनुसार भी पाकिस्तान को नलिंबन की पूरव सूचना भारत को देनी चाहिये थी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/universal-postal-union>

